

अध्याय 3 रजिस्ट्रीकरण

नियम 8 : रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

¹[(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर होने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) सिवाय –

(i) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति :

(ii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है :

(iii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन कर संग्रहण करने की अपेक्षा है :

(iv) कोई व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं को प्रदाय कर रहा है या कोई व्यक्ति, जो धारा 14क में निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग प्रदान कर रहा है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपने स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषणा करेगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 51/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“(1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्यांक, A[.....], राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा:

B[.....]

C[परन्तु] कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा “मोबाइल नंबर, ई-मेल पता” विलोपित (दिनांक 26.12.2022 से प्रभावशील किया गया)।

B अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“परन्तु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाईयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा:”

C अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा “परंतु यह और” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (2) (क) स्थायी लेख संख्यांक को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ²[और स्थायी खाता संख्या से जुड़े मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजे गए पृथक वन-टाईम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा]।

(ख) और (ग) ³[.....]।

- (3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा।
- (4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्यांक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

⁴[(4क) जहां कोई आवेदक, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए

² अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

³ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) विलोपित। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा(और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।”

⁴ अधिसूचना क्रमांक 04/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.03.2023 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“A[(4क) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उपनियम 4 के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन के बाद, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और जो कि सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमैट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जायेगा और आवेदक की तस्वीर ली जायेगी, जहां आवेदक एक व्यक्ति है या जहां आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उपधारा 6(ग) के अधीन अधिसूचित है, इस उपनियम के उद्देश्य के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जायेगा।]”

A अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

B[(4क) नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात्, आवेदक का जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा-अधिसूचित आवेदक संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का-

(क) बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यापन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या

(ख) यथा-अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजातों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है,“]

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

विकल्प के चयन करता है, वहां वह आधार संख्यांक अधिप्रमाणन करेगा और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन करने की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, जिसने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प के चयन किया है और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जाखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई है, बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और जहां आवेदक कोई व्यक्ति है, वहां आवेदक का फोटो लेकर अनुपालन किया जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक व्यक्ति नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित अपलोड की जाएगी और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा।]

⁵**परंतु यह** की धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति जिसने आधार सं. के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प नहीं लिया है, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, उपनियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आवेदक का फोटोग्राफ लेने के पश्चात किया जाएगा जहां आवेदक धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसा व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है, जहां आवेदक व्यक्ति नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक केन्द्र पर **प्ररूप जीएसटी**

और साथ ही **प्रारूप जीएसटी आरईजी-01** में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

B इसके पहले अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020) दिनांक 01.04.2020 से 21.12.2020 के मध्य यह इस प्रकार था :

"C[4क] जहां कोई आवेदक, जो कि धारा 25 की उपधारा 6 (घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन करता है तो, उपनियम (4) के अंतर्गत आवेदन को भरते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावित, उसकी आधार संख्या का अभिप्रमाणन किया जायेगा और उन मामलों में आवेदन को भरे जाने की तारीख, वह तारीख मानी जायेगी, जो उसकी आधार संख्या के अभिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन के भरे जाने से 15 दिन की बाद की तारीख, दोनों में से जो पूर्वोत्तर होगी।]

C पहले अधिसूचना क्रमांक 62/2020-केन्द्रीयकर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020) प्रतिस्थापन की पूर्व यह इस प्रकार था :

"D[4A] आवेदक, उपनियम (4) के तहत आवेदन जमा करते समय, 01.04.2020 से, पंजीयन प्रदान करने के लिये आधार संख्या के अभिप्रमाणन से गुजरेगा]"

D अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीयकर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (4क) अंतः स्थापित प्रभावशील दिनांक 01.04.2020।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा दूसरा परंतुक अंतस्थापित (प्रभावशील दिनांक 11.02.2025)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ और आवेदन इस परंतुक के अधीन यथा अधिकथित सफल सत्यापन के पश्चात् ही पूर्ण समझा जाएगा।]

- ⁶[(4ख) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनमें उप-नियम (4क) ⁷[का परंतुक] लागू नहीं होंगे।]
- (5) उपनियम (4) ⁸[या उप-नियम (4क)] के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।
-

⁶ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम (4ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 04/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.03.2023 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.2022)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.2022)।